न्यायालय , भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 48 वर्ष 2023

आवेदक–आनन्द कुमार ठाकुर
ग्राम–सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो

क्रेता– सुषमा देवी
ग्राम–सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह
थाना –पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
08/06/23	(see below)	C.C. Issued 14/06/23

आदेश

यह वाद आनन्द कुमार ठाकुर पिता छोटन ठाकुर निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	13	04	165	10 डी0	10 डी0	कृषि योग्य
		04	165	13 डी0	13 डी0	

को वे अपने घरेलु खर्च हेतु सुषमा देवी पति आनन्द कुमार ठाकुर निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 546/(ख) रा0 दिनांक 17.05. 2021 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 546 दिनांक 06.06.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो ठाकुर जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों ग्राम–सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में गरीब महतो वल्द अकलू महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी आनन्द कुमार ठाकुर के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 91/3 एवं 72/3 पर दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत बिकेता स्वयं है। बिकी की जानेवाली भूमि बिकेता के हिस्से की है एवं बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेतागण को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन बिकेता के स्वयं के नाम खरीदगी जमीन है तथा एवं

जमाबन्दी स्वयं के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसकी है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– आनन्द कुमार ठाकुर के नाम केवाला की छायाप्रति, आनन्द कुमार ठाकुर के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों हजाम जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिकेता एवं केता दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के खरीदगी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक आनन्द कुमार ठाकुर पिता छोटन ठाकुर निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	सम्मिलात चौहद्दी			
					उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	04	165	10 डी0	10 डी0	सुमित्रा देवी पति सतु लाल ठाकुर	मिलवा देवी पति नरेश महतो	रास्ता	नन्दु महतो
13	04	165	13 डी0	13 डी0				
कुल 23 (तेइस डीस्मिल मात्र।								

मो0 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–सुषमा देवी पति आनन्द कुमार ठाकुर निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

08/06/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

08/06/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:41:53 +05:30
Location: 192.168.1.3